



2026:AHC:50393

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी सं. - 4611 सन् 2026

श्रीमती मीरा गुप्ता

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उ.प्र. राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण) : प्रदीप कुमार तिवारी, रितेश राय

प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण) : सी.एस.सी., पंकज कुमार गुप्ता

न्यायालय सं. - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका को अन्य बातों के साथ-साथ याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दिनांक 15.01.2026 के अभ्यावेदन पर निर्णय लेने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की प्रार्थना के साथ दायर की है।
2. यह तर्क दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में, 15.10.2020 को उनके पक्ष में एक आदेश पारित किया गया था।
3. उपरोक्त के बावजूद, निजी-प्रतिवादियों को उपरोक्त आदेश के अनुसार चिह्नित सीमा के लिए निर्देशित किया जाए।
4. इस मामले को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है, लेकिन आज तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए वर्तमान रिट याचिका दायर की गई।
5. दूसरी ओर, गांव सभा की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पी.के. गुप्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि संहिता, 2006 की धारा 23 के अनुसार संबंधित उप-मंडल मजिस्ट्रेट के समक्ष एक उपयुक्त आवेदन प्रस्तुत करने के लिए उचित प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
6. पक्षों के अधिवक्ता को सुना।
7. पक्षों के अधिवक्ता की सहमति से, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम निस्तारण किया जाता है जिससे याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष अपनी सभी शिकायतों को उठाते हुए एक आवेदन दायर करने की अनुमति मिलती है। यदि ऐसा आवेदन संहिता, 2006 की धारा 23 के तहत दायर किया जाता है, तो प्रतिवादी संख्या 3 कानून के अनुसार इस मामले में शीघ्रता से निर्णय लेगा।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

मार्च 12, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"